



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082024-256358
CG-DL-E-14082024-256358

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]
No. 129]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 13, 2024/श्रावण 22, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 2024/SHRAVANA 22, 1946

रक्षा मंत्रालय
(मुरार छावनी बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2024

का.नि.आ. 129(अ).—बोरवेल की खुदाई और उपयोग के लिए मुरार छावनी बोर्ड हेतु मसौदा विनियम, 2023-24 को प्रकाशित किया गया था, 27 जनवरी, 2024 तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने हेतु छावनी बोर्ड के नोटिस बोर्ड पर अधिसूचना संख्या 1/123/सीए-एमसी/बोरवेल, तारीख 28 दिसंबर, 2023 के तहत प्रकाशित किया जाएगा।

और जबकि उक्त अधिसूचना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 28 दिसंबर, 2023 को और स्थानीय समाचार पत्रों में 29 दिसंबर, 2023 को भी प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, उक्त तारीख से पूर्व जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर छावनी बोर्ड द्वारा विचार किया गया तथा उनका समुचित निपटान छावनी बोर्ड संकल्प संख्या 2, तारीख 21 फरवरी, 2024 द्वारा किया गया।

अब, अतः, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 204 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुरार छावनी बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मुरार छावनी बोर्ड (बोरवेल की खुदाई और उपयोग) विनियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकरण" से छावनी बोर्ड या विनियम 5 के अधीन छावनी बोर्ड द्वारा प्राधिकृत मुख्य अधिशासी अधिकारी से अभिप्रेत है;
- (ग) "पानी की उपलब्धता और उपयोग" का वही अर्थ होगा जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता पर जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 3289 (अ), तारीख 24 सितंबर 2020 में दिया गया है;
- (घ) "बोरवेल" में ट्यूबवेल या खोदा हुआ कुआं या टनल कुआं या भूजल निष्कर्षण के लिए ऐसी अन्य संरचनाएं शामिल हैं।
- (ङ) "छावनी बोर्ड" से मुरार छावनी बोर्ड अभिप्रेत है;
- (च) "फ्लो मीटर" से भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) या अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के मानकों के अनुसार फ्लो मीटर अभिप्रेत है ;
- (छ) "प्रपत्र" से इन विनियमों से संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;
- (ज) "जल का उपयोग" से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का.आ 3289 (अ), तारीख 24 सितंबर 2020 के अधीन भारत में भूजल निष्कर्षण को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों के उपाबंध - 6 में वर्णित आवासीय इकाई, घर, बंगला, सोसायटी, ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग, होटल, व्यावसायिक रेस्तरां, चाय की दुकान, कॉफी शॉप, स्पा, कार स्पा, ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान, विवाह स्थल या हॉल इत्यादि द्वारा या अन्य किसी उद्देश्य के लिए पानी के उपयोग से अभिप्रेत है,
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और पद जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जैसा उसे अधिनियम, और उसके नियम और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 3289(अ), तारीख 24 सितंबर, 2020 द्वारा जारी भारत में भूजल निष्कर्षण को विनियमित और नियंत्रित करने के दिशानिर्देशों में बताया गया है।
3. विद्यमान बोरवेलों का सर्वेक्षण - (1) छावनी बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूद बोरवेल का सर्वेक्षण करेगा और सर्वेक्षण में उस तारीख का उल्लेख होगा जिसमें उक्त बोरवेल का निर्माण किया गया था एवं इसमें प्रतिदिन निकलने वाले औसत पानी का सर्वेक्षण होगा।
- (2) छावनी क्षेत्र के भीतर भूजल निष्कर्षण के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए वर्तमान जल आपूर्ति स्रोत की उपलब्धता के साथ-साथ जनसंख्या के घनत्व पर भी विचार किया जाएगा।
4. उपलब्ध भूजल का सर्वेक्षण - छावनी बोर्ड द्वारा जल शक्ति मंत्रालय की एजेंसियों या उस राज्य सरकार के किसी अन्य संगठन की सहायता से छावनी बोर्ड में स्थित उपयोग के लिए उपलब्ध भूजल के स्तर का पता लगाने के लिए अपने क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा।
5. प्राधिकारी की नियुक्ति- छावनी बोर्ड, निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करके तथा कार्यो और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्ति आदेश में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मुख्य अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।
6. प्राकृतिक जल पथ का संरक्षण- (1) छावनी बोर्ड यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करेगा कि क्या-
- (क) मानकों के अनुसार पेयजल प्रदूषण से मुक्त है और क्या जल पीने योग्य है या नहीं;
- (ख) कोई अपशिष्ट स्रोत है, जिससे खतरनाक पानी का रिसाव हुआ है और इस कारण बोरवेल का पानी प्रभावित हुआ है;
- (2) जल की विद्यमान आपूर्ति, गुणवत्ता, उपयोग और भूजल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, बोरवेल खोदने के आवेदन पर छावनी बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

7. **भूजल निष्कर्षण संरचना की अनुमति से छूट** - जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 3289 (अ), तारीख 24 सितंबर, 2020 द्वारा भारत में भूजल निष्कर्षण विनियमित और नियंत्रित करने हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार छावनी बोर्ड द्वारा छूट प्रदान की जाएगी।
8. **विद्यमान बोरवेलों का पंजीकरण-** (1) प्राधिकारी, विद्यमान बोरवेलों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए एक मास की अवधि के भीतर व्यापक प्रचार करके अधिसूचना प्रकाशित करेगा।
(2) पंजीकरण के लिए निवासियों को प्ररूप जारी किया जाएगा और पंजीकरण या नवीकरण शुल्क, यदि कोई हो, छावनी बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।
9. **नये बोरवेलों का पंजीकरण** - (1) आवेदक (मालिक, घर का मुखिया, पट्टेदार, विधिक उत्तराधिकारी, अधिकृत अधिभोगी) विनिर्दिष्ट प्ररूप में नया बोरवेल खोदने के लिए प्राधिकरण के पास आवेदन फ़ाइल कर सकता है और उक्त आवेदन की प्राधिकारी द्वारा मुख्यतः आवेदन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जांच की जाएगी और निर्णय की सूचना आवेदक को दी जाएगी।
(2) यदि तीस दिन की अवधि के भीतर निर्णय की सूचना नहीं दी जाती है, तो इसे अनुमोदित नहीं माना जाएगा और प्रत्येक नए बोरवेल के लिए, आवेदक को छावनी बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पर लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।
(3) छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के भीतर सैन्य स्थापनाओं को अस्तित्ववान बोरवेल के बारे में सूचित करना आवश्यक है।
10. **भूजल निष्कर्षण संरचनाओं को खड़ा करने के लिए पंजीकरण या अनुमति हेतु दस्तावेज** - (1) आवेदक भूजल निष्कर्षण के लिए संरचना खड़ा करने हेतु पंजीकरण या अनुमति के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थातः -
(i) नियमानुसार आवेदन एवं घोषणा संलग्न प्रपत्र के अनुसार ;
(ii) संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु प्रभाव आकलन रिपोर्ट अर्थात जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. का. आ. 3289 (अ), दिनांक 24 सितंबर 2020 के उपाबंध - 4 में उल्लिखित रिपोर्ट।
(iii) भूजल निष्कर्षण के लिए आवेदक का आधार कार्ड या पैन कार्ड या जीएसटी नंबर (जैसा लागू हो) और किसी पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट, फर्म, कंपनी के मामले में सामान्य निकाय की बैठक में पारित प्रस्ताव और संबंधित सोसायटी के अधिकृत प्राधिकारी।
(2) वर्षा जल संचयन प्रक्रिया का पालन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए विद्यमान मॉडल भवन उपनियमों के अनुसार किया जाएगा और इस आशय का प्रस्ताव छावनी बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।
11. **छावनी बोर्ड द्वारा निर्देश** -बोर्ड किसी भी समय कारणों को अभिलेखबद्ध कर भूजल निष्कर्षण को रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।
12. **फीस लगाना** (1) - यदि कोई पंजीकृत उपयोक्ता फ्लो मीटर नहीं लगाता या फ्लो मीटर काम नहीं कर रहा है तो ऐसे उपयोक्ता का पंजीकरण निलंबित किया जा सकता है और उपयोक्ता द्वारा प्राधिकारी को आवेदन देकर निलंबन को रद्द करवाया जा सकता है जिसके लिए एक हजार रूपए की फीस लगाई जाएगी।
(2) रिहायशी बोरवेल से एक सौ लीटर प्रतिदिन से ज्यादा निष्कर्षण पर पचास रूपए प्रति दिन या समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अनुसार प्रभार लगाया जाएगा।
(3) गैर रिहायशी बोरवेल से पचास लीटर प्रतिदिन से ज्यादा निष्कर्षण पर दो सौ रूपए प्रतिदिन या समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अनुसार प्रभार लगाया जाएगा।
13. **पानी के उपयोग पर प्रतिबंध**- आवेदक या किसी व्यक्ति द्वारा निकाला गया भूजल प्राधिकारी की अनुमति बिना किसी भी रूप में बेचा नहीं जाएगा और यदि यह पाया गया कि आवेदक या कोई व्यक्ति बिना अनुमति निष्काषित भूजल को बेच रहा है, तो दी गई अनुमति को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा और बोरवेल तथा फ्लो मीटर को सील कर दिया जाएगा और उपयोक्ता पर दो हजार रूपए तक या समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अनुसार फीस लगाई जाएगी।

14. **भूजल की गुणवत्ता का संरक्षण-** आवेदक और भूजल के उपयोगकर्ता को सरकारी एजेंसी से हर तीन साल में जल की गुणवत्ता का परीक्षण कराना आवश्यक है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि जल पीने योग्य है अथवा नहीं तथा इसकी रिपोर्ट प्राधिकारी को सौंपनी होगी और यदि जल दूषित पाया जाता है तो उस जल का उपयोग पीने के लिए नहीं किया जाएगा।
15. **वर्षा जल संचयन-** प्रत्येक आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाई गई हैं तथा वर्षा जल संचयन का ध्यान रखा गया है और छावनी बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि वर्षा जल संचयन कार्यात्मक है तथा छावनी बोर्ड द्वारा समय-समय पर इस आशय का सर्वेक्षण किया जाएगा।
16. **निषेधात्मक आदेश-** यदि पता चलता है कि पानी दूषित है और मानव उपभोग के लिए हानिकारक है, तो प्राधिकारी उपयोगकर्ताओं को नोटिस जारी करके निषेधात्मक आदेश जारी कर सकता है।
17. **जल अंकेक्षण -** प्राधिकारी समय-समय पर जल अंकेक्षण करेगा और भूजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी और भूजल में कमी की स्थिति में, प्राधिकारी द्वारा, निर्धारित निर्णय के अनुसार भूजल निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
18. **अपील (1)** - मुख्य अधिशासी अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रत्येक अपील छावनी बोर्ड के समक्ष की जाएगी और छावनी बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध प्रत्येक अपील प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा, कमान को की जाएगी
(2) मुख्य अधिशासी अधिकारी अथवा छावनी बोर्ड के आदेश के संप्रेषण होने के यथास्थिति तीस दिन की अवधि के भीतर, उसके अनुसार अपील की जा सकती है।

प्ररूप

(विनियम 2(छ) देखें)

विद्यमान बोरवेल / ट्यूबवेल / खोदा गया कुआं / गहरा कुआं, आदि का पंजीकरण या नया बोरवेल / ट्यूबवेल / खोदा गया कुआं / गहरा कुआं, आदि की खुदाई के लिए अनुमति

श्री / श्रीमती को जारी किया गया।

बही संख्या

आवेदन प्ररूप क्रम संख्या

नए बोरवेल / ट्यूबवेल / खोदा गया कुआं / गहरा कुआं, इत्यादि के पंजीकरण, संशोधन या परिवर्तन या खुदाई हेतु आवेदन प्ररूप

1. आवेदक का विवरण:-

(क) मालिक आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) (कृपया पहचान प्रमाण संलग्न करें):

(ख) पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति श्री/श्रीमती:

(ग) लिंग (कृपया चिन्हित करें): पुरुष / महिला

(घ) राष्ट्रियता:

(ङ) आवेदक का पता:

2. विद्यमान कुएं के पंजीकरण का विवरण:-

(क) पंजीकरण संख्या:

(ख) पंजीकरण की तारीख:

3. विद्यमान / प्रस्तावित नए बोरवेल / ट्यूबवेल / खुदा हुआ कुआं / गहरा कुआं, आदि का स्थल विवरण:-

(क) वार्ड संख्या:

(ख) मोहल्ला / सड़क / मकान संख्या:

- (ग) जीएलआर सर्वेक्षण संख्या / राजस्व सर्वेक्षण संख्या:
 (घ) उपरोक्त (ख) में अभिलिखित व्यक्ति का नाम:
 (ङ) उपरोक्त (घ) में अभिलिखित व्यक्ति के साथ आवेदक का संबंध:
 (च) कृपया निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें: आधार कार्ड / बिजली का बिल / भू-स्वामित्व / जीएलआर का उद्धारण / राजस्व रिकॉर्ड के लिए पते के प्रमाण के रूप में कोई भी दस्तावेज़।

4. विद्यमान / पंजीकृत / प्रस्तावित नए कुएं का विवरण:-

- (क) कुएं के निर्माण / खुदाई की तारीख (विद्यमान स्थिति):
 (ख) कुएं का प्रकार अर्थात् खोदा हुआ कुआं / ट्यूबवेल / बोरिंग: अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें):
 (ग) कुएं की अनुमानित गहराई (मीटर):
 (घ) ट्यूबवेल के मामले में:
 (i) होस पाइप की अनुमानित लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) (यदि कोई हो):
 (ii) छलनी की अनुमानित लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी):
 (iii) होस पाइप और खाली पाइप की सामग्री (पीवीसी / लोहा / गैल्वेनाइज्ड लोहा)
 (iv) छलनी की सामग्री: (पीवीसी / लोहा / गैल्वेनाइज्ड लोहा)
 (ङ) खोदे गए कुएं के मामले में:-
 (i) खोदे गए कुएं का व्यास (मीटर):
 (ii) खोदे गए कुएं की संरचना का प्रकार (कृपया चिन्हित करें) कच्चा पक्का
 (च) क्या कुएं (विद्यमान) की जल की गुणवत्ता से संबंधित कोई प्रतिकूल रिपोर्ट तो जारी की गई है हां / नहीं। यदि हां तो विवरण दें:

5. पम्पिंग मशीन का विवरण:-

- (क) उपयोग किए जाने वाले पम्प का प्रकार (कृपया चिन्हित करें) (पम्प से पानी का आवासीय/अपकेंद्रित/सबमर्सिबल/टरबाइन, प्रवाह आदि)
 (ख) स्तंभ पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टरबाइन पम्प के मामले में)
 (ग) पम्प की क्षमता:
 (घ) एच.पी. :
 (ङ) प्रचालन यंत्र (कृपया चिन्हित करें) (विद्युत मोटर / डीजल इंजन)
 (च) ऊर्जन तारीख (विद्युत चालित पम्प के मामले में):

6. कुएं की उपयोगिता का विवरण:-

- (क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य (आवासीय/औद्योगिक/व्यावसायिक/आधारभूत संरचनात्मक/वृहत उपयोग/अन्य (कृपया चिन्हित करें))
 (ख) दैनिक चालन घंटे:
 (ग) क्या क्षेत्र पाइप जलापूर्ति के माध्यम से जल प्राप्त करता है हां / नहीं (कृपया चिन्हित करें)

7. पंजीकृत कुएं में उपांतरण या परिवर्तन का विवरण:

8. पंजीकृत कुएं में उपांतरण या परिवर्तन का कारण:

9. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना निर्मित की गई है हां / नहीं (कृपया चिन्हित करें)
यदि नहीं, तो वर्षा जल संचयन हेतु प्रस्तावित उपाय:
10. (क) कृपया अपशिष्ट जल प्रवाह (उद्योगों/अस्पताल/कटानघरों/इत्यादि के लिए) के शोधन उपाय का तरीका प्रस्तुत करें:

यदि (क) लागू होता है, तो कृपया बताएं कि अपशिष्ट जल निष्पादन या प्रवाह हेतु छावनी बोर्ड / संबंधित प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया है (हां / नहीं) यदि हां, तो उसकी प्रति संलग्न करें।

टिप्पण: यदि आवेदक ने अपशिष्ट जल निष्पादन या प्रवाह हेतु छावनी बोर्ड या संबंधित प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है, तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

11. आवेदन शुल्क भुगतान का विवरण:-

- (क) भुगतान किए गए आवेदन शुल्क की रकम
- (i) रुपए
- (ii) रसीद संख्या/संदर्भ संख्या (परियोजना रूपरेखा हेतु):
- (iii) तारीख:

12. कोई अन्य सूचना जो आवेदक देना चाहे:

घोषणा

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और सत्य हैं।

मैं यह समझता हूँ कि सत्यापन / जांच के किसी भी चरण में कोई भी विवरण / सूचना गलत पाई जाती है, तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ऊपर दिया गया कोई भी विवरण / सूचना पंजीकरण जारी होने के पश्चात भी किसी भी चरण में गलत पाया गया तो पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

मैं सहमत हूँ

टिप्पण:

1. नए कुएं में उपांतरण या परिवर्तन या नए कुएं की खुदाई के पंजीकरण के लिए प्रत्येक हेतु अलग-अलग आवेदन प्ररूप का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन प्ररूप जमा करने से पूर्णतया पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी तरह का सुधार / परिवर्तन विधिवत प्रमाणित होना चाहिए।
3. जहाँ लागू न हो वहाँ 'लागू नहीं' लिखें।
4. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:
 - (i) भूमि स्वामित्व/अधिभोग अधिकार इत्यादि प्रमाण वाले दस्तावेज़।
 - (ii) आधार कार्ड/वोटर आईडी/राशन कार्ड/पहचान दशानि वाले किसी अन्य दस्तावेज़ की छाया प्रति।
5. संबंधित प्राधिकारी के पास मामले की योग्यता जांच के लिए कोई भी अन्य दस्तावेज़ आवेदक से मांगने का अधिकार है।

मैं सहमत हूँ

[फा.सं. I/123/CA-MC/Borewell]

अभिषेक आजाद, आईडीईएस, मुख्य अधिशासी अधिकारी

MINISTRY OF DEFENCE**(Morar Cantonment Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th August, 2024

S.R.O. 129(E).—WHEREAS, the draft regulations for the Morar Cantonment Board for Digging and use of Bore Wells, 2023-24 was published, on the Cantonment Board's Notice Board *vide* Notice No. 1/123/CA-MC/Bore well, dated the 28th December, 2023 inviting objections and suggestions by 27th January, 2024;

AND, WHEREAS, the said notice was also published on the official website of the Cantonment Board on 28th December, 2023 and in the local newspapers on 29th December, 2023;

AND, WHEREAS, objections and suggestions so received from the public by the Cantonment Board before the said date were considered by the Board and suitably disposed of, *vide* Cantonment Board Resolution No. 2, dated 21st February, 2024.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 204 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Morar Cantonment Board hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Morar Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);

(b) “authority” means the Cantonment Board or the Chief Executive Officer authorised by the Cantonment Board under regulation 5;

(c) “availability and use of water” shall have the same meaning assigned to it in the notification issued by the Ministry of Jal Shakti on Per Capita Availability of Water *vide* notification number S.O. 3289(E), dated the 24th September, 2020 issued by the Ministry of Jal Shakti;

(d) “Bore well” includes tube well or dug well or tunnel well or such other structures for extraction of ground water.

(e) “Cantonment Board” means the Morar Cantonment Board;

(f) “flow meter” means the flow meter as per the standards of the Indian Standards Institute (ISI) or International Organisation for Standardisation (ISO);

(g) “form” means the form annexed to these regulations;

(h) “use of water” means usage of water by residential unit, house, bungalow, society, trust, education institution, industry, hotel, commercial restaurant, tea stall, coffee shop, spa, car spa, beauty parlour, barber shop, marriage grounds or halls etc., or for any other purpose mentioned in Annexure - VI to the guidelines to regulate and control ground water extraction in India issued *vide* notification number S.O. 3289(E), dated the 24th September, 2020 by the Ministry of Jal Shakti.

(2) The words and expressions used in these regulations and not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act, rules made there under, and in the guidelines to regulate and control ground water extraction in India issued *vide* notification number S.O. 3289(E), dated the 24th September, 2020 by the Ministry of Jal Shakti.

3. Survey of existing bore wells. – (1) The Cantonment Board shall conduct a survey of existing bore wells within its jurisdiction and the survey shall include the date from which the said bore wells are in existence and average extraction of water every day.

(2) The density of the population shall be considered along with the availability of the present water supply source for considering the application for extraction of ground water within the Cantonment Area.

4. Survey of ground water available. –The Cantonment Board shall conduct survey of the area within its jurisdiction to ascertain the level of ground water available for use with the help of agencies of the Ministry of Jal Shakti or any other organisation of the State Government in which the Cantonment Board is situated.

5. **Appointment of authority.** – The Cantonment Board may appoint Chief Executive Officer to exercise the powers and discharge the functions and duties as an authority in such manner as may be specified in the appointment order.
6. **Preservation of natural water course.** – (1) The Cantonment Board shall conduct survey to ascertain whether –
- (a) the drinking water is free from contamination as per the standards and whether the water is potable or not;
 - (b) any source of effluent and hazardous water has percolated and water of the bore well is affected;
- (2) Taking into consideration the existing supply of water, quality, use and availability of ground water, the application for digging bore well shall be considered by the Cantonment Board.
7. **Exemption from permission for ground water extraction structure.** – Exemption shall be granted by the Cantonment Board as per the guidelines to regulate and control ground water extraction in India issued *vide* notification number S.O. 3289(E), dated the 24th September, 2020 by the Ministry of Jal Shakti.
8. **Registration of existing bore wells.** – (1) The authority shall publish a notice by giving wide publicity for compulsory registration of the existing bore wells, within a period of one month.
- (2) The form shall be issued to the residents for registration and the registration or renewal charges, if any, shall be specified by the Cantonment Board.
9. **Registration of new bore wells** – (1) The applicant (owner, head of residence, lessee, legal heir, authorised occupant) may submit the application with the authority for digging new bore well in the specified form and the said application shall be scrutinised by the authority preferably within a period of thirty days from the date of application and the decision shall be communicated to the applicant.
- (2) In case, the decision is not communicated within a period of thirty days, it shall not be treated as a deemed approval and for every new bore well, applicant shall be required to renew the licence at regular intervals as may be specified by the Cantonment Board.
- (3) Military establishments within the local limits of the Cantonment Board shall be required to inform about the existence of bore well.
10. **Documents for registration or permission to erect the structure for extracting ground water.** – (1) The applicant shall submit the following documents for registration or permission to erect the structure for extracting ground water, namely:–
- (i) The application and declarations as per the form annexed;
 - (ii) Impact Assessment Report for a specified purpose issued by the concerned authority i.e., report mentioned in Annexure - IV to the notification number S.O. 3289(E), dated the 24th September, 2020 by the Ministry of Jal Shakti shall be followed.
 - (iii) Aadhaar Card or Pan Card or GST No. (as applicable) of the applicant and in the case of any registered society, trust, firm, company the resolution passed in General Body Meeting for extracting the water from the ground and authorisation to the concerned office bearer of the society.
- (2) Rain water harvesting process shall be followed as per the existing model Building Bye-laws made by the Ministry of Housing and Urban Affairs and a proposal to this effect shall be submitted to the Cantonment Board.
11. **Directions by Cantonment Board.** – The Cantonment Board may issue directions to stop extraction of ground water at any time by recording reasons therefor.
12. **Levy of fee.** – (1) If any registered user does not install the flow meter or in case flow meter is not working, the registration of such user may be suspended and the suspension may be revoked with an application by the user to the authority with a fee of rupees one thousand.
- (2) Charges for residential bore well extraction above one hundred liters per day shall be charged at rupees fifty per day or as may be specified from time to time.
 - (3) Charges for commercial or industrial bore well extraction above fifty liters per day shall be charged at rupees two hundred per day or as may be specified from time to time.
13. **Restriction on use of water.** – Ground water so extracted shall not be sold in any form by the applicant or any person without permission of the authority and if it is noticed that the applicant or any person is selling the extracted ground water without permission, the registration granted shall be suspended forthwith and bore

well and the flow meter shall be sealed and the user shall be liable to pay fee up to rupees two thousand or as may be specified from time to time.

14. **Protection of quality of ground water.** – The applicant and user of the ground water shall be required to test the quality of the water in every three years from the Government Agency in order to ascertain as to whether the water is potable and submit the report to the authority and in case, water is found contaminated, the water shall not be used for drinking purpose.
15. **Rain water harvesting.** – Every applicant has to ensure that rain water harvesting structures are erected and rain water harvesting is observed and the Cantonment Board shall ensure that rain water harvesting is functional and survey for verification of the same shall be conducted by the Cantonment Board from time to time.
16. **Prohibitory orders.** –The authority may issue prohibitory orders, in case it is found that the water is contaminated and injurious to human consumption by issuing notice to the user.
17. **Water audit.** – Water audit shall be carried out by the authority from time to time and availability of the ground water shall be ascertained and in case of reduction in the ground water, restriction on the extraction of ground water shall be imposed as decided by the authority.
18. **Appeal.** – (1) Every appeal against the decision of Chief Executive Officer shall be preferred before the Cantonment Board and the appeal against the decision of the Cantonment Board shall be preferred before the Principal Director, Defence Estates, the Command.
(2) Every appeal shall be made within a period of thirty days from the date of communication of order of the Chief Executive Officer or the Cantonment Board, as the case may be.

FORM

(See regulation 2 (g))

Registration of existing bore well / tube well / dug well / tunnel well, etc, or permission for digging of new bore well / tube well / dug well / tunnel well, etc.

Issued to Shri / Smt.....

Book No.....

Application Form Sl. No.....

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION, MODIFICATION OR ALTERATION OR DIGGING OF NEW BORE WELL / TUBE WELL / DUG WELL / TUNNEL WELL, ETC.

1. Particulars of the applicant:-
 - (a) Name of the owner applicant (IN BLOCK LETTERS) (Please attach ID Proof):
 - (b) Son/ Daughter / Wife / Husband of:
 - (c) Sex (Please tick): M/ F
 - (d) Nationality:
 - (e) Address of the applicant:
2. Details of Registration of existing well:-
 - (a) Registration number:
 - (b) Date of Registration:
3. Location particulars of existing / proposed new bore well / tube well / dug well / tunnel well, etc :-

- (a) Ward No:
 - (b) Mohalla / Road / House No:
 - (c) GLR Survey No. / Revenue Survey No.
 - (d) Name of the recorded person in (b) above.
 - (e) Relationship of applicant with recorded person in (d) above:
 - (f) Please attach following documents: Aadhaar card/ Electricity Bill / Any document as address proof for ownership of land / extract of GLR/ Revenue Record.
4. Particulars of the existing / to be registered / proposed new well:-
- (a) Date of construction / sinking of the well (in case of existing):
 - (b) Type of the well viz. Dug Well / Tube Well / Boring: Others (please specify):
 - (c) Approx depth of the well (m):
 - (d) In case of Tube Well:
 - (i) Approx length (m) and diameter (mm) of the hosing pipe (if any)
 - (ii) Approx length (m) and diameter (mm) of the strainer
 - (iii) Material of the hosing pipe and blank pipe (PVC / Iron / Galvanized Iron)
 - (iv) Material of the strainer: (PVC / Iron / Galvanized Iron)
 - (e) In case of Dug Well:-
 - (i) Diameter of the Dug Well (m)
 - (ii) Type of structure of the Dug Well (please tick) Kuchcha / Pucca
 - (f) Whether there has been any adverse report regarding water quality of the well (in case of existing): YES / NO.
 - (a) If yes give particulars
5. Particulars of pumping device:-
- (a) Type of pump to be used (please tick) (Residential/Centrifugal/ submersible/turbine/eject of pump, etc)
 - (b) Length of the column pipe (in case of submersible / turbine pump)
 - (c) Pump capacity
 - (d) H.P
 - (e) Operational device (please tick) (electric motor / diesel engine)
 - (f) Date of energisation (in case of electricity driven pump).
6. Particulars of usefulness of well:-
- (a) Purpose of the proposed well (Residential/Industrial/Commercial/ Infrastructural / Bulk use / others (please tick)
 - (b) Daily running hours:
 - (c) Whether the area receives supply through piped water supply: YES / NO. (Please tick)
7. Details of modification or alteration in registered well:
8. Reason for modification or alteration in registered well:
9. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premises:
YES / NO (Please tick)
If No, measures proposed to be taken for rain water harvesting:

10. (a) Please submit mode of treatment of waste water/ effluent (for industries/ hospital/ butcheries/ etc)
If (a) applies, please mention whether obtained NOC from Cantonment Board / Concerned Authority for discharge of effluent or waste water [YES / NO] If YES, attach copy of same:
Note: If applicant has not obtained NOC from Cantonment Board or Concerned Authority for discharge of effluent or waste water, application shall be liable for rejection:
11. Details of payment of application fee.-
(a) Amount of Application Fee paid
(i) Rs.....
(ii) Receipt No./ Reference No. (for outline project):
(iii) Date
12. Any other information which Applicant would like to furnish:

Declaration

Declaration by the applicant

I do hereby declare that the particulars furnished herein above are correct and true:

I understand that in case any of the particulars / information is found to be in-correct at any stage of verification / scrutiny, the application is liable for rejection. In case any of the particulars / information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation:

I Agree

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well or for modification or alteration or digging of new well:
2. The application form should be completed in all respects before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
3. Please write 'N.A' against those items which are not applicable.
4. Please attach the following documents along with the application:
 - i. Document showing proof of ownership of land / occupancy rights / etc.
 - ii. Photocopy of Aadhaar Card / Voter ID / Ration Card / any other proof of identification:
5. The concerned Authority reserves the right to ask for any other document(s) from the applicant for examination of the merit of the case.

I Agree

[F.No. I/123/CA-MC/Borewell]

ABHISHEK AZAD, IDES, Chief Executive Officer